तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्य जज
	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा मोबिन बानू बनाम शेख खां किस्म - वाद नं - 119/12

08.06.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अभियान शिविर मुकाम बामणिया में पेश हुई। वादीया पक्ष अनुपस्थित। विपक्षी कम 05, 06, 07 वक्त शिविर उपस्थित। राज्य पक्ष की और से तहसीलदार बनेडा नियत सुनवाई पर उपस्थित। विचारणीय वादपत्र का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त आराजीयात ग्राम भीमपुरा पटवार हल्का क्षैत्र बामणिया स्थित खतौनी संख्या 76 के आराजी संख्या 134/2, 136, 142/2 रकबा 02–14 बीघा भूमि का उभयपक्षो के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन कराये जाने आशय का यह वादपत्र प्रस्तुत हुआ है। किन्तु वादपत्र से संलग्न राजस्व अभिलेख चालु जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 2072 के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि सहखातेदार श्रीमति जैतून बाई पत्नि सुजात खां का विवादित भूमि में पूर्व में 1/5 हक हिस्सा निर्धारित था, जिसको कि सहखातेदार श्रीमति जैतून बाई पत्नि सुजात खां के द्वारा वादीया मोबिन बानू को 1/10 हक हिस्सा ही अन्तरण/बैचान किया गया , यानि विवादित आराजीयात में सहखातेदार श्रीमति जैतून बाई पत्नि सुजात खां का 1/10 हक हिस्सा अब भी शेष रहता है, परन्तु वादीया ने सहखातेदार श्रीमति जैतून बाई पत्नि सुजात खां को बतौर पक्षकार संयोजित किये बिना ही यह वादपत्र न्यायालय के समक्ष दोषयुक्त प्रस्तुत किया है। जबकि सहखातेदार श्रीमति जैतून बाई पत्नि सुजात खां को भी इस वादपत्र में बतौर पक्षकार के रूप में संयोजित किया जाना आवश्यक एंव न्यायोचित था। इस प्रकार वादीया ने यह वादपत्र न्यायालय के समक्ष दोपूर्ण/त्रूटीपूर्ण प्रस्तुत किया है। वादपत्र में अपेक्षित पक्षकार/खातेदार को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही प्रकरण में किसी भी प्रकार का निर्णय पारित किया जाना विधिसम्वत नही होगा। ऐसी स्थिति में वादीया का वादपत्र, वादीया द्वारा कानूनन दृष्टि से त्रूटीपूर्ण/भूलयुक्त प्रस्तुत किये जाने से खारिज किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बनेडा जिला भीलवाडा